Shodhpith
International Multidisciplinary Research Journal
(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)
(Multidisciplinary, Bimonthly, Multilanguage)
Volume: 2 Issue: 1 January-February 2026

आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय का अध्ययन: समाज एवं राज्य के संदर्भ में

डॉ. पंकज तिवारी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधीराष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (मध्य प्रदेश)

डॉ. सुशील कुमार त्रिपाठी

सहआचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग जे आर डी राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, उत्तर प्रदेश

Article Info: *(Recieved- 20/11/2025, Accept- 28/12/2025, Published- 10/01/2026)*

DOI- 10.64127/Shodhpith.2026v2i10010

संक्षिप्तिका–

सामाजिक न्याय की संकल्पना आधुनिक भारतीय समाज एवं राज्य में विशेष महत्व रखता है, जो संविधान में निहित है। सामाजिक न्याय को मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक सिद्धांत में भी शामिल किया गया है, जि. सका उद्देश्य जाति, धर्म, वर्ग, लिंग एवं संप्रदाय का सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर विभेद किये बिना सभी नागरिकों को एक ऐसी व्यवस्था बनाने से है ,जिसमें समता, स्वतंत्रता, सम्मान और गौरव का भाव सुनिश्चित हो। समाज के उन सभी वर्गों एवं समुदायों के हितों का ध्यान रखते हुए समाज एवं राज्य की मुख्य धारा में विभेद रहित शामिल किया जाए, इनसे एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जो न्याय पूर्ण हो।

न्याय की अवधारणा आधुनिक भारत में समाज एवं राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण न्यायपूर्ण व्यक्ति की प्रकृति पर केंद्रित था। जिसमें उन सद्गुणों का अन्वेषण किया जाता था, जो व्यक्ति को न्याय प्रिय इसलिए बना देता था जिससे समाज एवं राज्य को आदर्श बनाया जा सके। आधुनिक भारतीय व्यवस्था में समाज एवं राज्य में मौलिक परिवर्तन हो गया है। आज का समाज सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन की प्रेरणा से चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा? इसका लक्ष्य उन पूर्ववत व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय आधुनिक चेतन द्वारा सामाजिक परिवर्तन को गतिमान बनाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक न्याय का आधुनिक भारत में सार्थकता तभी बनी रहेगी जब सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्शों के साथ–साथ सभी क्षेत्रों में विभेद रहित न्यायप्रिय व्यवस्था का समन्वयन स्थापित किया जाए।

शब्द कुंजी– समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, अवसर, लाभ, आधुनिक भारत, सामाजिक समरसता ।

प्रस्तावना–

आधुनिक भारतीय व्यवस्था में सामाजिक न्याय के अध्ययन से पूर्व न्याय के आशय को समझना समीचीन होगा। आंग्ल भाषा के श्जस्टिसश लैटिन शब्द जस्टीया (Justia) से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना है। भारतीय एवं ग्रीक समाज में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत समाज में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करना था। इसके लिए मुख्य रूप से दो उपायों पर बल दिया जाता था– प्रथम, दंडित करना दूसरा पुरस्कृत करना। यूनानी समाज एवं राज्यों में इसका नैतिक एवं वैधानिक रूप तो वही रहाद्य मध्यकाल में सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में दृष्टिगोचर हुआ। आज न्याय का अर्थ श्सामाजिक न्यायश से लिया जाता है। यह एक बृहद संकल्पना है, इसके अंतर्गत वैधानिक, आर्थिक ,सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय सम्मिलित होता है। आधुनिक भारतीय व्यवस्थाओं में सामाजिक न्याय का आशय प्रत्येक विचारकों ने निष्पक्षता समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को मना है। लिंग, जाति प्रजाति ,धर्म एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेद रहित व्यवस्था स्थापित करना न्याय है। वर्तमान में सामा. जिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जाता है जिसमें सामाजिक ,आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित हैं। (मिश्रा 2020)1आधुनिक भारतीय समाज एवं राज्य में न्याय की प्रमुख समस्या यह है कि राजनीतिक एवं सामा. जिक जीवन के अंतर्गत व्यक्तियों,समुदायों,समूह एवं संस्थाओं के प्रति वस्तुओं,सेवाओं, लाभों, अवसरों तथा शक्ति एवं सम्मान के आवंटन का समुचित आधार क्या होना चाहिए? आज भारत में सामाजिक न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को आत्मसात कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के राजनीतिक– सामाजिक– आर्थिक यथार्थ को प्रत्यक्ष रखकर किया गया हो। हम सुविधा की दृष्टि से नागरिक जीवन की मुख्य तीन क्षेत्रो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक का उल्लेख करते हैं तथा हम उसे तात्विक न्याय की बात करते हैं आज हम अन्वेषण करते हैं कि समाज में जो व्यवस्था विद्यमान है वह समाज की न्याय प्रिय व्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है या नहीं। क्या यह व्यवस्था न्याय के अनुरूप है? कानूनी न्याय से समस्त समस्या का समाधान नहीं हो सकता अगर कानून ही न्याय है तो इस बदलते या बनाते समय संसद को कौन सा नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए? या कानून मौन या अस्पष्ट हो तो न्यायाधीश को कौन से सिद्धांत का पालन करना चाहिए? इस स्थिति में कानून का साध्य इसका आधार बनता है जिसे तात्विक न्याय करते हैं। यह न्याय क्षैतिज स्तर पर उन आदर्शों व मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार जैसे–जैसे सामाजिक चेतना का विकास होता है वैसे–वैसे सामाजिक न्याय अपना स्वरूप परिवर्तित करता रहता है।

आधुनिक भारत में यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत शोध पत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय के आदर्श को महत्व दिया गया है। आर्थिक न्याय समानता के आदर्श को महत्व देता है और सामाजिक न्याय बंधुता के आदर्श को साकार करना चाहता है इन तीनों को मिलकर ही सामाजिक जीवन में न्याय की व्यापक आदर्श की सिद्धि की जा सकती है।2 सामाजिक न्याय का आधुनिक भारतीय संदर्भ का आशय यह है कि सार्वजनिक स्थानों की प्रयोग के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को केवल रंग वंश जाति या धर्म के आधार पर किन्ही सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य मानव द्व ारा मानव का शोषण नहीं किया जाना चाहिएद्य सामाजिक स्वतंत्रता एवं समानता के साथ सामाजिक सुरक्षा को भी आधुनिक समाज एवं राज्य में महत्व दिया जाने लगा है। असहायों ,वृद्धों, और बीमार व्यक्तियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना भी सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण अंग है।3

शोध का उद्देश्य–

1. आधुनिक भारतीय समाज एवं राज्य में सामाजिक न्याय का धरातल स्तर पर अध्ययन करना।
2. आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थिति का अन्वेषण करना।
3. सामाजिक न्याय का भारतीय स्वरूप का मूल्यांकन करना।
4. सामाजिक न्याय किस सीमा तक सामाजिक समरसता बनाने में सार्थक एवं सफल सिद्ध हो रहा है।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध पत्र ष्आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय का अध्ययनरू समाज एवं राज्य के संदर्भ में विषयक शोध–पत्र गुणात्मक, विवेचनात्मक तथा तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है। साथ ही इसमें द्वितीय के स्रोतों का प्रयोग हुआ है। विषय के अनुसार साहित्यिक समीक्षा एवं विद्वानों के विचारों से समाज एवं राज्य में सामाजिक न्याय

के दर्शन का अवलोकन प्रस्तुत शोध पत्र का आधार है। अर्थात इस शोध हेतु अवलोकन पद्धति का भी उपयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षारू प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन के क्रम में आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय के स्वरुप का विवेचन हैद्य राज्य और समाज में भेदभाव का अभाव के साथ ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सभी वर्गों, संप्रदायों एवं व्यक्तियों को समुचित विकास एवं उन्नति का अवसर प्राप्त हो तथा अपने धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, आस्था और विश्वास के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार को प्रावधानित करता है। जिसमें अनुच्छेद 15 से 18 में सामाजिक,आर्थिक एंव राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने, शिक्षा एवं सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध कराने, अस्पृश्यता का अंत करने का प्रयास किया गया है। जहां अनुच्छेद 15 यह उपबंधित करता है कि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। वही अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता तथा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन की घोषणा एवं अनुच्छेद 18 में राज्य द्वारा नागरिकों को उपाधियां दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामाजिक क्षमता वाले इन अपबंधों का आशय सामाजिक न्याय के मूलभूत अंग के रूप में देखा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 30 भी सामाजिक न्याय के अन्य पक्षों को उपबंधित करता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में समाज एवं राज्य में भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक संबंधों में प्राथमिक स्थापित कर उच्च– नीच का विभेद समाप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है।[4] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 में समस्त नागरिकों को जहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं वहीं अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा संस्कृति और भाषा एवं लिपि के संरक्षण संबंधित अधिकार देकर विशेष कर अल्पसंख्यक समुदाय को उन्नति एवं अभिवृद्धि करने के समान अवसर देकर भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का व्यापक और विस्तृत निरूपण करता हैद्य अनुच्छेद 164, 338 संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्यों एवं केंद्र में प्रत्येक विभाग एवं परामर्शदात्री आयोग, परिषदोंका गठन करके उनके हितों की रक्षा एवं उन्नति के लिए ध्यान दिया है। वही अनुच्छेद 16 एवं 335 यह प्रावधानित करता है कि इनके लिए सार्वजनिक नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था राज्य एवं सरकार द्वारा किया जाएगा तथा उनके हितार्थ कुछ स्थान नियमानुसार आरक्षित कर अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन करें।

सामाजिक न्याय पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर श्रीप्रकाशमणि त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत इसकी महत्व को रेखांकित किया है।[5] उनके मतानुसार सामाजिक न्याय का महत्व व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक समानता, समाज सुधार, आर्थिक समानता ,अवसर की समानता, शिक्षा और संस्कृति का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कानूनी सहायता के रूप में देखी जा सकती है।

सामाजिक न्याय के आधुनिक भारत में महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में ष्यह बात भूलनी नहीं जानी चाहिए कि आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यांकन और प्रतिनिधि सरकारों के निर्माण में सामाजिक न्याय एक प्रेरक शक्ति है।[6]

सामाजिक न्याय के संदर्भ में जे सी जौहरी ने अपनी पुस्तक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में लिखा है किष्सामाजिक न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक है जिसके क्षेत्राधिकार में सामान्य हित के मानक से संबंधित सब कुछ आ जाता है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर गरीबी एवं निरक्षरता के उन्मूलन तक कुछ भी हो सकता है।[7] वही एम सी चागला ने अपनी पुस्तक इंडिविजुअल एंड द स्टेट में लिखा है कि यदि स्वतंत्रता आर्थिक न्याय के मार्ग में बाधक है तो वह निरर्थक है। एक भूखे क्या ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे मानव गरिमा से वंचित किया गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता एक खोखला शब्द है। वर्तमान समय की समस्या यह है कि राज्य की सदा बढ़ती हुई शक्ति पर व्यक्ति को कुर्बान किए बिना किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक न्याय को लाया जाए।[8]

वर्तमान भारतीय परिपेक्ष में महात्मा गांधी का सामाजिक न्याय का आधार वर्ग हीन, राज्यहीन समाज एवं न्या. सिता की संकल्पना है। उनका स्पष्ट मत है कि आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है जो पूरी तरह अहिंसा पर आधारित हो, ऐसी व्यवस्था में धनवान एवं निर्धन का भेद मिट जाएगा।[9] आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित कर वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। सामाजिक न्याय हेतु कानून के समक्ष समानता के साथ अवसर की समानता पर भी जोड़ दिया। आधुनिक भारतीय विचारक जिन्हें दलितों

के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपनी महत्वपूर्ण कृति एनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट (1936) में अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। उनका स्पष्ट अभिमत था कि ष्समानता का सिद्धांत सच्चे अर्थ में तभी सार्थक होगा जब मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में–अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में–प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक मूल्यवत्ता को साकार किया जा सके।[10]

भारतीय संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ष्इस संविधान को अपना कर हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे राजनीतिक समानता मिल जाएगी, परंतु सामाजिक–आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर देंगे लेकिन हमारा आर्थिक और सामाजिक संरचना इस ढंग से नहीं बदल जाएगा जिससे एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को सार्थक किया जा सके।[11] इस प्रकार अंबेडकर ने आधुनिक भारतीय समाज एवं राज्य में जीवन पर्यंत सामाजिक–आर्थिक असमानता,अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के खिलाफ संघर्ष किया तथा शोषितों,वंचितों के उत्थान और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। छत्रपति शाहजी के शब्दों मेंष्अंबेडकर के रूप में आप लोगों को अपना मुक्तिदाता मिल गया है मुझे पक्का भरोसा है कि ये आप लोगों के बेड़िया काटेंगे।[12]

लोकनायक जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्हें भारतीय समाजवाद का अग्रणीय विद्वानों के श्रेणी में रखा गया है। उनका स्पष्ट मत था कि समाजवाद सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का विस्तृत सिद्धांत है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति टुवर्ड्स स्ट्रगल 1946 में मनुष्यों की प्राकृतिक समानता के दावे को निराधार एवं निरर्थक माना। उनका मत है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में मानव समुदायों के बीच जो स्पष्ट विभिन्नता पाई जाती हैं, वह उनकी प्राकृतिक और समानता का परिणाम नहीं है बल्कि वह उत्पादन के साधन पर विषमता पूर्ण नियंत्रण की उपज है। अतः सभी मनुष्यों के लिए आत्म विकास के अवसर प्रदान करने के लिए इन विषमता का समाधान आवश्यक है।

आधुनिक भारतीय समाजवादी विचार को में डॉ राम मनोहर लोहिया का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी प्रमुख कृति 'आस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी' (1952) सामाजिक न्याय के लिए सच्चा प्रतिनिधित्व करता है।उनका स्पष्ट अभिमत है कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए विषमता से मुक्ति अति आवश्यक है।

आज का भारतीय समाज एवं राज्य सामाजिक न्याय पर आधारित है। भारत का संविधान इसकी आधारशिला है। भारतीय संविधान में उपबंधित विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा एक ऐसी राष्ट्र की परिकल्पना संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई है जिसमें भेदभाव का लोप किया गया है। वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके सामाजिक न्याय को और सार्थक बनाने का कार्य किया गया है। इसके तहत 102 वीं संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (2019) प्रदान किया गया। वही 103 वीं संविधान संशोधन करके सामान्य जाति के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 104 वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2020 सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा सकता है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण को 25 जनवरी,2030 तक अर्थात 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है।

निष्कर्षः आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक न्याय की संकल्पना लोगों में जागृति उत्पन्न करने में प्रभावक भूमिका का निर्वहन किया है। सामाजिक न्याय का आदर्श लोगों के उन्नति विक. ास एवं कल्याण के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित और विकसित करने की परिकल्पना है। आधुनिक युग में सामाजिक न्याय की अवधारणा का विवेचन करने में रोस्को पोंड,जॉन रॉल्स का महत्वपूर्ण योगदान को भुला नहीं जा सकता है। भारत में महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर, महात्मा फुले, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य विद्वानों के विचारों में सामाजिक न्याय की मांग पर ध्यान दिया गया हैं। गांधी और अंबेडकर ने आजीवन सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष किया। वही नेहरू का मानवतावाद एवं लोकतांत्रिक समाजवाद का आधार सामाजिक न्याय से ओत–प्रोत था। भारत का संविधान वर्तमान समाज एवं राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करने और न्याय पूर्ण व्यवस्था बनाने का प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार आज वर्तमान भारतीय व्यवस्था में सामाजिक न्याय को सुलभ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए समता युक्त समाज की स्थापना कैसे हो यह एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। ऐसी व्यवस्था का सृजन हो

जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेद न हो, शोषण मुक्त व्यवस्था हो, समान अवसर की सुनिश्चितता हो, कमजोर वर्ग अपने को असहाय महसूस ना करें तथा न्यूनतम आवश्यकताये पूरी हों।भारतीय संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों सहित अन्य भागों में सामा. जिक न्याय की परिकल्पना को सार्थक एवं साकार बनाने के लिए और असमानताओं का उन्मूलन किया गया हैद्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 (4) एवं 16(4) सामाजिक न्याय के लिए आधार स्थापित करता है।[13] अनुच्छेद 15 (4) में कहा गया है कि समाज के पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं इस उप धारा को संविधान की प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। वही अनुच्छेद 16(4) यह प्रावधानित करता है कि राज्य को नागरिकों कि पिछड़े वर्गों जैसे (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ा वर्गों) के लिए सरकारी नौकरियों और पदों पर आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है। राज्य यह देखता है कि इन वर्गों का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। जिससे राज्य एवं समाज के वंचित लोगों को भी अवसर कीसमानता मिल सके। यह उपबंध सामाजिक न्याय की अवधारणा को लोक नियोजन के क्षेत्र में स्थापित करने हेतु सकारात्मक कदम है। संविधान का अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को गरिमा पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देकर सामाजिक न्याय का नींव रखता है। वही अनुच्छेद 38 एवं 39 क्रमशः जहां राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सृजन करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं में व्याप्त हो। वही पर अनुच्छेद 39 राज्य को आजीविका के पर्याप्त साधन समान काम के लिए समान वेतन और आर्थिक सुरक्षा हेतु निर्देश देता है। अतः वर्तमान समय में इसका अर्थ बहुत जटिल हो गया है। न्याय नागरिकों का मुख्य हित है इसके बिना स्वतंत्रता, समानता,अधिकार तथा सामाजिक समरसता सुनिश्चित कर पाना असंभव है क्योंकि सामाजिक न्याय के मानकों से इसका अभिन्न है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ–

1. मिश्रा, राजेश, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद 2020 पृष्ठ 10.
2. गाबा, ओ पी, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखाष मयूर पेपर वैक्स, 1993, नई दिल्ली, पृष्ठ 235.
3. संधू, ज्ञान सिंह, राजनीति सिद्धांत हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ संख्या 285.
4. पंत गुप्ता जैन, राजनीति शास्त्र के आधार सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद ,2004, पृष्ठ संख्या 33.
5. त्रिपाठी, श्रीप्रकाश मणि,ष्राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत, प्रत्युष पब्लिकेशंस, दिल्ली 2013, पृष्ठ संख्या 207–208.
6. वही पृष्ठ संख्या 208.
7. जौहरी, जे सी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत स्टालिन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नईदिल्ली, पृष्ठ संख्या 448.
8. वही पृष्ठ संख्या 454.
9. गाबा, ओ पी, राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा मयूर पेपर वैक्स, नोएडा, 2005, पृष्ठ संख्या 324.
10. वही पृष्ठ संख्या 342.

11. वही पृष्ठ संख्या 341– 342.
12. तिवारी, विवेकानंद,ष अछूत मतवाद की सच गांधी और अंबेडकर, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, 2011, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 214.
13. सईद ,एस .एम, "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था "सुलभ प्रकाशन ,2001, लखनऊ पृष्ट–19.

Cite this Article-

"डॉ. पंकज तिवारी; डॉ. सुशील कुमार त्रिपाठी", "आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय का अध्ययनः समाज एवं राज्य के संदर्भ में" Shodhpith International Multidisciplinary Research Journal, ISSN: 3049-3331 (Online), Volume: 2, Issue: 01, January-February 2026.

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."